अल्प निविदा सूचना पुलिस विभाग आजमगढ ।

पुलिस विभाग आजमगढ में आगामी विधान सभा सामान्य चुनाव 2017 के लिए चुनाव हेतु प्राप्त बाह्य एवं जनपदिय पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों की ब्रीफिंग एवं उनके ठहरने के स्थानों पर उनके उपयोग हेतु बस्तुओं एवं उपकरणें की सम्पूर्ति के लिए उ0प्र0सरकार से मान्यता प्राप्त फर्मो को आवश्यकतानुसार किराये पर आपूर्ति किये जाने के लिए निम्नलिखित सामग्री अंकित शर्तो के आधार पर चुनाव की महत्ता को देखते हुए इच्छुक ठेकेदारों से दिनांकःजनवरी 28, 2017 को समय 11.00बजे से अपरान्ह 13. 00बजे तक निम्न कार्य के लिए सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है जो पुलिस कार्यालय आजमगढ में रखें गये टेण्डर बाक्स में डाली जायेगी :–

कमाक	सामग्री का नाम	अनुमाति संख्या
1	2	3
1	पण्डाल (शामियाना)30×30	अवश्यकतानुसार
2	मैटिंग 05×30	अवश्यकतानुसार
3	अस्थाई मंच	अवश्यकतानुसार
4	कुर्सी (सामान्य प्लास्टिक)	अवश्यकतानुसार
5	चेयर वी.वी.आई.पी./वी.आई.पी.	अवश्यकतानुसार
6	`जनरेटर07केवीएमय डीजल व आपरेटर सहित	अवश्यकतानुसार
7	कतान	अवश्यकतानुसार
8	लाउडस्पीकर मय उपकरण	अवश्यकतानुसार
9	टेवल मय कवर	अवश्यकतानुसार
10	जनरेटर 7के.बी.एडीलज व आपरेटर सहित	अवश्यकतानुसार
11	दरी 18×12	अवश्यकतानुसार
12	पैडेस्टल फैन	अवश्यकतानुसार
13	पानी की टंकी 1000लीटर	अवश्यकतानुसार
14	बाल्टी	अवश्यकतानुसार
15	मग	अवश्यकतानुसार
16	हाईलोजन	अवश्यकतानुसार
17	विजली का तार	अवश्यकतानुसार
18	वल्ब 200 वाट मय तार होल्डर सहित	अवश्यकतानुसार
19	वल्ब 100 वाट मय तार होल्डर सहित	अवश्यकतानुसार
20	अस्थाई शौचालय	अवश्यकतानुसार
21	अस्थायी स्नानागार	अवश्यकतानुसार
22	इमरजेंसी लाईट	अवश्यकतानुसार
23	पानी का ड्रम	अवश्यकतानुसार
24	सिंलिग फैन	अवश्यकतानुसार
25	ट्यूब लाईट(राड)	अवश्यकतानुसार
26	पानी का टैकर	अवश्यकतानुसार
27	टूल्लू पम्प/जेट पम्प	अवश्यकतानुसार
28	तार	अवश्यकतानुसार
29	जग	अवश्यकतानुसार

नियम एवं शर्ते निम्नाकित हैः–

1– उक्त कार्य के निर्धारित रूपरेखा पुलिस लाईन आजमगढ में कार्य दिवस के दिन प्रातः10.00बजे से सायंकाल 05.00बजे तक देखे जा सकते है ।

2– टेण्डर मुहर बन्द लिफाफे में कार्य का नाम लिफाफे पर अंकित करके पुलिस लाइन में उक्त नियत तिथि को निर्धारित समय तक टेण्डर बाक्स में डाले जा सकते है। टेण्डर छपे फार्म पर लिखा होना आवश्यक है,जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से रू50प्रति फार्म के दर से निविदा के तिथि से एक दिन पूर्व प्राप्त किया जा सकता है।

3–निविदा के साथ रू030,000–00 धनराशि अर्नेस्ट मनी नगद संलग्न किया जाना अनिवार्य है बिना अर्नेस्ट मनी के काई टेण्डर स्वीकार नही किया जायेगा ।

4–निविदा कर्त्ता फर्म ठेकेदार निविदा फार्म के साथ सम्बन्धित फर्म आदि का आयकर/बिकीकर का प्रामण पत्र निविदा फार्म प्राप्त करते समय जमा करेगा किसी भी निविदा का स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक आजमगढ के पास सुरक्षित रहेगा ।

5–पुलिस अधीक्षक आजमगढ के निर्णय के विरूद्ध किसी भी फर्म या ठेकेदार को किसी भी न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने का कोई अधिकार नही होगा ।

6–टेण्डर अधोहस्ताक्षरी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुलिस कार्यालय आजमगढ में खोला जायेगा टेण्डर खोलते समय टेण्डरदाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित उपस्थित रह सकते है ।

7–जिस ठेकेदार का टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा उसको रू.3,00,000–00 धनराशि धरोहर नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र द्वारा टेण्डर स्वीकृत होने के सूचना के 03 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा ।अन्यथा निविदा निरस्त कर शेष निविदा कर्त्ताओं में से न्यूनतम निविदा प्रस्तुत किये जाने वाले निविदाकर्त्ता की निविदा स्वीकृत कर दी जायेगी ।

8–सम्बन्धित फर्म जिसकी निविदा अन्तिम रूप से स्वीकृत होगी से सही प्रकार से कार्य करने सम्बन्धित इस आशय का अनुबन्ध पत्र भरना होगा कि आवश्यकतानुसार चुनाव के अन्तिम समय तक यदि आवश्यकता होगी तब उल्लिखित सामग्री में जब भी सामग्री हेतु निर्देशित किया जायेगा उसे तत्काल आपूर्ति किया जाना होगा उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति निर्धारित स्थानों पर की जायेगी एवं भण्डारण रख–रखाव की जिम्मेदारी स्वीकृत निविदा फर्म की होगी सामग्री को लाने व ले जाने सम्बन्धित कोई किराया भाडा अलग से प्रदान नही किया जायेगा ।

9–शासनादेश के अनुसार जिस फर्म का निविदा स्वीकृत होगा उससे,02प्रतिशत की दर से आयकर तथ 05 प्रतिशत की दर व्यापार कर की कटौती की जायेगी जिसे टेण्डरदाता को स्वीकार करना अनिवार्य होगा ।

10–अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम टेण्डर स्वीकार करने के लिए अथदा अस्वीकार करने के लिए कारण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है।

11–उपरोक्त सामग्री को आपूर्ति करते समय सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना होगा सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सामग्री वापस कर दी जायेगी एवं उसके स्थान पर पुनःअच्छी गुणवत की सामग्री आपूर्ति की जानी होगी ।

12–निविदा कर्त्ता से उल्लिखित सामग्री की निविदा स्वीकृत किये जाने से पूर्व निविदाकर्त्ता के पास उपलब्ध सामान एव उसके भण्डारण की निरीक्षण किये जाने का अधिकार विभाग को होगा निरीक्षण किये जाने के निर्णय पर अपना सामग्री का भण्डारण जनपद में कही प्रत्यक्ष रूप से कमेटी को दिखाना होगा ।

13–आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त यदि आपूर्ति नही की जाती है तो सम्बन्धित फर्म की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा तत्समय ही निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।

पत्र संख्या:च–04/2017

दिनाक:जनवरी 20, 2017

पुलिस अधीक्षक

आजमगढ ।

प्रतिलिपिः–निम्नाकित को आवश्यक कार्यवाही एवं प्रचार प्रसार करने हेतुः–

1–जिलाधिकारीजनपदआजमगढ,बलिया,मऊ,गाजीपुर,वाराणसी,जौनपुर,मिर्जापुर,सोनभद्र,चन्दौली,संतरविदासनगर,गोरखपुर,देवरिया।

2–पुलिस अधीक्षक बलिया मऊ,गाजीपुर ,वाराणसी,जौनपुर,मिर्जापुर,सोनभद्र,चन्दौली,संतरविदासनगर,गोरखपुर,देवरिया।

3–मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ।

4–अध्यक्ष जिला परिषद आजमगढ।

5–अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निमार्ण विभाग आजमगढ ।

6–राजकीय निर्माण निगम आजमगढ ।

7–परियोजना प्रबन्धक जल निगम निर्माण इकाई आजमगढ ।

8–जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

9–सम्पादक दैनिक जागरण,/,हिन्दुस्तान टाइम्स,/,अमर उजाला,/,राष्ट्रीय सहारा /अमृत प्रभात/नार्दन इण्डिया पत्रिका को इस अनुरोध के साथ कि अपने–2 समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं बिल दो प्रतियों में उपलब्ध कराये ताकि भुगतान किया जा सके ।

10–सेनानायक20 वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ ।

11–अपर पुलिस अधीक्षक,ग्रामीण, नगर,यातायात आजमगढ।

12–समस्त क्षेत्राधिकारी आजमगढ ।

13–प्रतिसार निरीक्षक आजमगढ।

14–प्रधानलिपिक पुलिस कार्यालय आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करन हेतु ।